न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः–गौरव कुमार मित्तल(आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
08 / 2024	27.02.2024	28/1/2026

1. गोविन्दी देवी पत्नी स्व0 भोला नायक उर्फ भोल्या जाति नायक आयु 54 साल व्यवसाय गृहिणी निवासी 69 धमूणकलां पंचायत गम्भीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थितः–

1. श्री महेंद्र वर्मा एड0 प्रार्थी की और से।

:– निर्णय –:

प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादिया के पति भोला नायक की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 924, 926, 927 कुल रकबा 0.9100 है0 खाता संख्या 180 पुराना खाता संख्या 147 जमाबंदी अंतिम चौसाला सम्वत 2073–76 के अनुसार वाके ग्राम धमूणकलां पटवार हल्का गम्भीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर की राजस्व सीमा में स्थित है। वादिया के पति भोला नायक की मृत्यु दिनांक 04.09.2017 को हो चुकी है। वादिया के ससुर प्रभुलाल नायक की मृत्यु के पश्चात उक्त विरासत का ब हिस्सा बराबर नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 को खोला गया जिसमें वादिया के पति भोला नायक के पहचान दस्तावेज प्राप्त किये बिना बोलता नाम महेंद्र होने के कारण तत्कालीन पटवारी गम्भीरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 में महेंद्र दर्ज कर दिया गया तथा तस्दीक कर दिया गया जबकि वादिया के पति के सभी दस्तावेजों में भोला नायक दर्ज है, जो सही है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जानकारी दिनांक

15.02.2024 से वादपत्र अंदर मियाद प्रस्तुत है। वाद की विषय वस्तु श्रीमान की सीमा में स्थित होने से श्रीमानजी को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादपत्र निश्चित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड तलब करवाया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी जाकर वादपत्र निम्न प्रकार फरमाया जावे। वादिया के पति भोला नायक की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 924, 926, 927 कुल रकबा 0.9100 है0 खाता संख्या 180 पुराना खाता संख्या 147 जमाबंदी अंतिम चौसाला सम्वत 2073–76 एवं नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 में दर्ज महेंद्र के नाम को हजफ कर नामान्करण एवं जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार भोला नायक का अंकन किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 180 खसरा नंबर 924, 926 व 927 कुल किता 3 रकबा 0.91 है0 नंदकिशोर पुत्र प्रमूलाल हि0 3/8 महेंद्र पुत्र प्रभूलाल हि0 1/8 लल्लू पुत्र प्रताबा हि0 1/2 जाति नायक सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0 संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 से जर्ये विरासत प्रभू पुत्र प्रताबा हि0 1/2 नायक के स्थान पर नंदकिशोर महेंद्र राजेंद्र पि0 प्रभूलाल लाली पुत्री प्रभूलाल हि0 1/2 दर्ज हुआ। संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट महेंद्र पुत्र प्रभूलाल नायक व भोला पुत्र प्रभूलाल नायक एक ही व्यक्ति के दो नाम भोला (मूल नाम) व महेंद्र (बोलता नाम) बताये गये। सहखातेदार महेंद्र पुत्र प्रभूलाल नायक के स्थान पर ग्राम धमूणकलां के खसरा नंबर 924,926 व 927 पर भोला पुत्र प्रभूलाल नायक दुरस्त किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया है कि वादिया के पति भोला नायक की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 924, 926, 927 कुल रकबा 0.9100 है0 ग्राम धमूणकलां में स्थित है। वादिया के पति भोला नायक की मृत्यु दिनांक 04.09.2017 को हो चुकी है। वादिया के ससुर प्रभुलाल नायक की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 को खोला गया जिसमें वादिया के

पति भोला नायक के पहचान दस्तावेज प्राप्त किये बिना बोलता नाम महेंद्र होने के कारण तत्कालीन पटवारी गम्भीरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 में महेंद्र दर्ज कर दिया गया जबकि वादिया के पति के सभी दस्तावेजों में भोला नायक दर्ज है, जो सही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश किया है उक्त प्रकरण में प्रार्थीया अपने पति का नाम नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 05.10.2012 में महेन्द्र के स्थान पर भोला नायक दर्ज करवाना चाहती है। उक्त नामान्तकरण प्रभुलाल नायक की मृत्यु के पश्चात विरासत का खोला गया है। पत्रावली का अवलोकन करने तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में त्रुटि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नही होना पाया गया है तथा जो भी त्रुटि हुयी है वह अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय हुयी है। भू प्रबन्ध विभाग की गलती नही होने क कारण उक्त प्रकरण 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नही आता है। अतः उक्त प्रकरण खारिज योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28/1/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर